शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

SIQE के अन्तर्गत सी.सी.ई., सी.सी.पी. और ए.बी.एल. - 'एक नजर में'

पृष्ठभूमि

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सरकार का दायित्व है। प्रारम्भिक शिक्षा में विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से राज्य में State Initiative for Quality Education Programme संचालित किया जा रहा है। इसके तहत राज्य में शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के साथ-साथ गतिविधि आधारित बालकेन्द्रित शिक्षण के आधार पर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाया गया है।

उद्देश्य

- बालकेन्द्रित शिक्षण द्वारा सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना।
- बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना।
- गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, आनन्ददायी एवं प्रभावी बनाना।
- ज्ञान को स्थायी एवं प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करना।
- बच्चों में सृजनात्मक एवं मौलिक चिन्तन का विकास करना।
- स्तरानुसार शिक्षण योजना बनाकर शिक्षण कार्य करते हुए शैक्षिक प्रगति को नियमित रूप से दर्ज करना।
- बच्चों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाते हुए संज्ञानात्मक एवं व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना।
- बालकों के अधिगम स्तर में गुणात्मक विकास के साथ-साथ नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना।
- बच्चों की प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा करना।

बालकेन्द्रित शिक्षण-शास्त्र (CCP)

बालकेन्द्रित शिक्षण-शास्त्र का अर्थ है बच्चे के अनुभव, स्तर और सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। इस प्रकार के शिक्षण में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास व अभिरुचियों के मद्देनजर शिक्षा को नियोजित करने की आवश्यकता है। बालकेन्द्रित शिक्षण में प्रत्येक बच्चा महत्त्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में बच्चों के अनुभवों, विचारों व सहभागिता को प्राथमिकता दी जाती है।

एन.सी.एफ., 2005 में कक्षा-कक्ष शिक्षण एवं मूल्यांकन के उद्देश्यों में स्पष्ट किया गया है कि सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के सार्थक और आनन्ददायी अनुभवों एवं संदर्भों को केन्द्रित करते हुए भय मुक्त मूल्यांकन के प्रयास किए जाएँ।

प्रत्येक बच्चे को कार्य करके सीखने के पर्याप्त अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए शिक्षक द्वारा योजना का निर्माण किया जाता है। इसमें शिक्षक एक मददगार के रूप में कार्य करते हुए बच्चों को अपने स्वतंत्र विचार रखने के लिए प्रेरित करते हैं। जिससे बच्चे अपने अनुभव, विचार और सहभागिता के आधार पर ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। इसमें विद्यार्थियों की सक्रियता व रचनात्मक सामर्थ्य को पोषित एवं संवर्धित करने के पर्याप्त अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

गतिविधि आधारित अधिगम (ABL)

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) 2005 के अनुसार प्रत्येक बच्चा अपनी गति, स्तर एवं रुचि के अनुसार सीखता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29 (ङ) के अनुसार सीखने-सिखाने की प्रक्रिया बालकों के अनुरूप गतिविधि आधारित एवं खोजने की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली हो। इस हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन में प्रत्येक बच्चे के सीखने को सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि आधारित अधिगम (ABL) की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के स्तरानुसार गतिविधियों में परिवर्तन कर वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया में बाल केन्द्रित शिक्षण शास्त्र के अनुसार गतिविधि आधारित अधिगम करवाते हुए सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है; जिससे बच्चे अपनी गति, रूचि और स्तर के अनुसार ज्ञान का निर्माण कर सकें।

गतिविधि कक्ष का विकास : गतिविधि आधारित शिक्षण हेतु विद्यालय में कक्षा 1 व 2 के लिए गतिविधि कक्ष का विकास विषयवार अधिगम स्तरानुसार कर बच्चों के लिए इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाता है, जिससे शिक्षण-अधिगम रुचिकर, आनन्ददायी और प्रभावी बन सके। इस हेतु श्यामपट्ट, डॉट बोर्ड और बॉक्स बोर्ड तथा डिस्प्ले बोर्ड, समूह कार्य करने के लिए चौकी (4'x2.5'x1') तथा हिन्दी, गणित और अंग्रेजी विषयों के लिए दीवार लेखन निहित है।

गतिविधि आधारित अधिगम किट : कक्षा 1 व 2 में सक्रिय अधिगम (Active Learning) को प्रभावी बनाने के लिए गतिविधि कार्ड, फ्लेश कार्ड, चार्ट, विषयवार कार्यपत्रक, चयनित एवं नियोजित गतिविधि अनुरूप सामग्री को आधार बनाकर समूहवार शिक्षण कार्य सम्पादित किया जाता है।

सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया (CCE)

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्त्वपूर्ण घटक हैं-

- **सततता** - मूल्यांकन की सततता का आशय लगातार व निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया से है। यह प्रक्रिया शिक्षण के दौरान सतत् अवलोकन, कक्षा शिक्षण, समीक्षा व नियोजन आदि से सीधी-सीधी जुड़ी हुई है।
- **व्यापकता** - मूल्यांकन की व्यापकता में मूल्यांकन के क्षेत्रों एवं तरीकों की व्यापकता अन्तर्निहित है। यह बालक को उपलब्ध करवाये जाने वाले अवसरों, तरीकों व अनुभवों में देखी जा सकती है।

आकलन एवं मूल्यांकन

आकलन छोटे-छोटे उद्देश्यों के साथ किया जाता है। आकलन मूल्यांकन का आधार है। आकलन से कार्य की प्रक्रिया में निरन्तर सुधार किया जाता है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया का ही हिस्सा है। आकलन में संभावनाएँ व्याप्त होती हैं। मूल्यांकन बड़े लक्ष्य को इंगित करता है तथा निश्चितता का बोध कराता है। आकलन के कुछ चरणों को मिलाकर समग्रता में मूल्यांकित करना ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिससे यह पता लगता है कि अपेक्षित दक्षताएँ किस स्तर तक विकसित हो पाई हैं।

पाठ्यक्रम आधारित अधिगम उद्देश्यों की टर्म विभाजन प्रक्रिया

एक शैक्षिक सत्र के लिए योजना एवं आकलन की संरचना

प्रत्येक कक्षा एवं विषय के अधिगम उद्देश्यों को व्यवस्थित करते हुए शिक्षण सत्र को चार टर्म में विभाजित किया गया है। सीसीई की प्रक्रिया के मुख्य चरण निम्नानुसार है -

1. **आधार रेखा मूल्यांकन / पदस्थापन** - सत्र के आरम्भ में कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया के दौरान मौखिक, कार्यपत्रक एवं गतिविधियों के आधार पर बच्चों का आकलन कर उपलब्धि को दर्ज करते हुए आधार रेखा मूल्यांकन किया जाता है तथा प्रत्येक टर्म के अन्त में योगात्मक आकलन / मूल्यांकन से प्राप्त अधिगम स्तरों की प्रगति के आधार पर आगामी टर्म के लिए पदस्थापन किया जाता है।
2. **सतत् शिक्षण आकलन योजना** - आधार रेखा मूल्यांकन / पदस्थापन से प्राप्त कक्षा स्तर को शिक्षक द्वारा अपनी अध्यापक योजना डायरी में संधारित किया जाता है और इस आधार पर शिक्षण एवं आकलन की योजना का निर्माण कर तद्नुरूप कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया में शिक्षण करवाते हुए सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है।
3. **रचनात्मक आकलन** - किसी कौशल / पाठ सूचक / अवधारणा एवं उप-अवधारणा के अपेक्षित उद्देश्यों के सापेक्ष स्थिति का आकलन करने हेतु कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया के दौरान प्रगति (ग्रेड) को रचनात्मक आकलन की चैकलिस्ट में नियमित संधारित किया जाता है।
4. **योगात्मक आकलन / मूल्यांकन** - टर्म के अन्त में योगात्मक आकलन / मूल्यांकन में ग्रेड दर्ज करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्न दस्तावेजों को आधार बनाया जाता है - 1. चैकलिस्ट, 2. स्व-अनुभव / समीक्षा, 3. कक्षा कार्य, 4. गृहकार्य, 5. पोर्टफोलियो, 6. वर्कशीट, 7. पेपर-पेन्सिल टेस्ट 8. अभिभावक संवाद इत्यादि। इस प्रक्रिया में मूल्यांकन के आधार यथा व्यक्तिगत, समूह, स्वमूल्यांकन और सहभागिता है। इसमें बालक के अकादमिक पक्षों के साथ ही अन्य सभी पक्षों यथा कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारिरिक शिक्षा तथा व्यक्तित्व विकास के सापेक्ष साक्ष्यों को सम्मिलित किया जाता है।
5. **ग्रेड दर्ज करने की प्रक्रिया** - सतत् एवं व्यापक आकलन / मूल्यांकन में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को तीन ग्रेड्स (A,B,C) के द्वारा दर्ज किया जाता है, जिसमें -
   - A. स्वतंत्र रूप से काम करने की स्थिति या अग्रिम स्तर की समझ।
   - B. शिक्षक की मदद / मार्गदर्शन से काम करने की स्थिति या मध्यम स्तर की समझ।
   - C. शिक्षक की विशेष मदद से काम करने की स्थिति या आरंभिक स्तर की समझ।

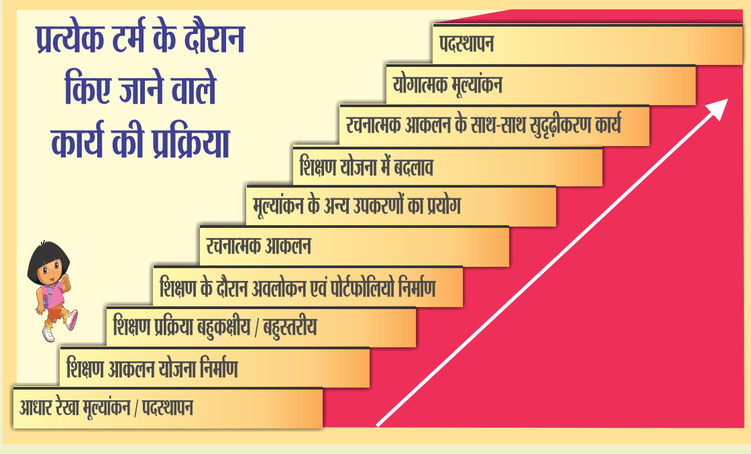

6. **पोर्टफोलियो** - एक निश्चित अवधि में बच्चे की उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि के संचयी साक्ष्य के रूप में पोर्टफोलियों संधारित किया जाता है। इसमें बच्चे की कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया में रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन के दौरान अकादमिक प्रगति के साक्ष्य (यथा - आधार रेखा मूल्यांकन / पदस्थापन विषयवार नियमित कार्यपत्रक, मौखिक गतिविधियों के आधार-पत्र एवं पेपर पैन्सिल टेस्ट इत्यादि) के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास संबंधी दस्तावेज संकलित किए जाते है।

   इन संकलित दस्तावेजों पर शिक्षक द्वारा गुणात्मक टिप्पणी दर्ज कर प्रति-पुष्टि प्रदान की जाती है। इसे समय-समय पर अभिभावकों से साझा किया जाता है। यह बच्चे की प्रगति का आईना है।

हमारे दायित्व

शिक्षक के रूप में

- बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना।
- बाल केन्द्रित शिक्षण (CCP) के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया सम्पन्न कराना।
- आधार रेखा मूल्यांकन / पदस्थापन कर समूह के अनुसार शिक्षण आकलन योजना बनाना।
- कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया में योजनानुरूप शिक्षण सुनिश्चित करते हुए समीक्षा एवं सतत् आकलन करना।
- बच्चों की शैक्षिक प्रगति को निर्धारित दस्तावेजों में नियमित दर्ज कर अभिभावकों से साझा करना।
- प्रशिक्षण, कार्यशाला व वीसी में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना।

संस्था प्रधान के रूप में

- शिक्षण एवं आकलन हेतु शिक्षकों के लिए सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया का अवलोकन करते हुए शिक्षण योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करना।
- यथा समय संबलन प्रदान करते हुए शैक्षिक प्रगति का अभिलेख संधारण सुनिश्चित करवाना।
- पोर्टफोलियो को अद्यतन करवाते हुए इसमें दर्ज की गई टिप्पणियों की समीक्षा करना।
- मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन करना व शिक्षकों की चुनौतियों के समाधान का प्रयास करना।
- एसएमसी / पीटीएम की बैठक में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रगति को साझा करना।
- संस्थाप्रधान हेतु आयोजित बैठक / प्रशिक्षण / कार्यशाला में स्वयं की सहभागिता सुनिश्चित करना।

समुदाय के रूप में

- बच्चों की नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करते हुए शैक्षिक प्रगति पर शिक्षकों के साथ चर्चा करना।
- विद्यालय विकास योजना में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना।
- विद्यालय की कठिनाइयों को साझा करते हुए इनके निवारण का प्रयास करना।
- विद्यालय की गतिविधियों, समारोहों, खेलकूद और शैक्षिक आयोजनों में सक्रिय भूमिका निभाना।

अवलोकनकर्ता के रूप में

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अवलोकनकर्ता की भूमिका संबलनकर्ता के रूप में होनी चाहिए। अवलोकनकर्ता निम्नांकित बिन्दुओं की समीक्षा करें:-

- आधार रेखा मूल्यांकन (बेसलाइन) / पदस्थापन के आधार पर समूह निर्धारण।
- समूह के अनुसार पाक्षिक योजना निर्माण एवं योजना की क्रियान्विति एवं समीक्षा की स्थिति।
- शिक्षण-अधिगम सामग्री की उपलब्धता एवं उपयोग की स्थिति।
- पोर्टफोलियो, अभ्यास कार्य, चैकलिस्ट, अभिलेख पंजिका के संधारण की स्थिति।
- संस्थाप्रधान द्वारा कक्षा-कक्षीय प्रक्रिया एवं अभ्यास कार्य के अवलोकन की स्थिति।
- अभिभावक शिक्षक बैठक (PTM) में बच्चों की शैक्षिक प्रगति को साझा किये जाने की स्थिति।
- गत अवलोकनकर्ता के सुझावों / निर्देशों की पालना की स्थिति।

शिक्षकों का क्षमता संवर्धन एवं अभिनवन हेतु राज्य में किए जा रहे प्रयास

- ई- कन्टेन्ट, पत्र-पत्रिका (ब्रोशर, शिविरा विशेषांक इत्यादि)
- शिक्षण प्रशिक्षणों, क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला एवं विडियो कान्फ्रसिंग (VC) का आयोजन।
- ब्लॉक एवं जिला स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा ऑन साइट सपोर्ट।
- नेतृत्व क्षमता विकास आधारित लीडरशिप प्रशिक्षण।
- राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर संचार साधनों यथा Websites, DLSR, YouTube, Facebook, WhatsApp & Hike Group इत्यादि के माध्यम से सीसीई/ सीसीपी प्रक्रिया के बारे में क्षमता संवर्धन।

विद्यालय में समुदाय की सहभागिता से न केवल बच्चे की प्रगति बेहतर होगी, बल्कि शिक्षक को भी प्रसन्नता होगी कि उनके द्वारा विद्यालय में शिक्षण के दौरान किए गए प्रयास समुदाय से साझा हो रहे हैं। यदि बच्चे को सीखने में समस्या आ रही है तो शिक्षक से चर्चा करना कि इसके क्या कारण हो सकते हैं और कैसे इस समस्या का समाधान किया जा सकता हैं। इससे विद्यालय में समुदाय की सहभागिता भी बढ़ेगी।

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्
ब्लॉक-5, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राजस्थान)

सहभागी संस्थाएँ unicef

विद्यालय/कार्यालय में स्थायी प्रदर्शन हेतु